

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF NOTIFICATION NO. STV(TE)B(2)4/85-II
dated 15-10-1987 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Department of Technical Education
Vocational & Industrial Training.

No. STV(TE)B(2)4/85-II

Dated Shimla-171002, the 15th October, 1987.

NOTIFICATION.

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the Post of Technical Assistant, in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as ^{per} Annexure "A" attached to this notification:-

Short title &
Commencement.

1. (i) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Recruitment & Promotion Rules, 1987 for the post of Technical Assistant.
(ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Rules.

2. The number of posts, classification, pay scale, qualification and method of Recruitment etc., for the post of Technical Assistant shall be as specified in the Annexure "A".

Repeal and Saving.

3. The Recruitment and Promotion Rules for the post of Technical Assistant notified vide Industrial Department Notification No. 1-150/6.9-SI (Estt.), dated 23rd Jan., 1970 are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not effect the previous operation of the

Contd. P/2..

177

-:2:-

said rules or anything done or any
action taken thereunder.

By order


Attar Singh

Financial Commissioner-cum- Secretary
(Technical Education, Vocational &
Industrial Training) to the Government
of Himachal Pradesh.

Endst. No. STV(TE)B(2)4/85-II, Dated Shimla-2, the 15th October, 1987.

Copy forwarded to the:-

1. Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-171002 for information with three spare copies with reference to his letter No. 6-3/7 PSC, dated 24-1-1987 and 3.6.1987.
2. The Joint Secretary (Personnel) to the Gov. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. All Administrative Secretaries, H.P; Government, Shimla-2 for information.
4. All Head of Department in Himachal Pradesh.
5. The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P; Sundernagar, Distt. Mand for information and necessary action with ten spare copies.
6. The Deputy Controller, H.P; Press, Shimla-5 for information in Rajpatra (Extra ordinary), 10 copies of the notification be supplied to this Department.
7. Deputy Legal Remembrancer, Himachal Pradesh, Government Shimla-2.


Under Secretary (TE to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-A

Recruitment and promotion Rules for the post of Technical Assistant Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Technical Education Vocational & Industrial Training, H.P. Government.

-
1. Name of the Post: Technical Assistant
 2. Number of Post: Two(2).
 3. Classification: Class-III(Non-Gazetted),
 4. Pay Scale: Rs.570-1080-
 5. Whether selection post or non-selection post: Non-Selection.
 6. Age for direct recruitment: Between 18 to 32 years.

Provided that the upper age for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis; further

Provided that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Schedule Castes/Schedule Tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.

further
Provided that the employees of all the public sector corporation and autonomous bodies who absorption in Public Sector Corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants, be admissible to such staff of

/- this concession will not however,

Continued on Page No.2/-

--:3:-

DESIRABLE:

Knowledge of customs andmanner and dialects of H.P. and suitability for appointment in peculiar condition prevailing in the Pradesh.

- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees. Age:NO.
Qualification.....Yes.
- 9. Period of probation, if any: Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be -recorded inwriting.
- 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled byvarious methods. By Promotion failing which by direct recruitment.
- 11. In case of recruitment promotion, -deputation/transfer, grades from which promotions, deputation/transfer to be made. By promotion, from amongst Technician 450-880/Maintenance Mech. 400-660/-Motor Driving Instructor 400-600/Assistant Technician 400-660 Training Mistry 400-600 having atleast two years service in the grade. The incumbent having higher pay scale shall beplaced senior in respect of length of service. Inter seniority will be made for the incumbents having same pay scale.

Note:1 .

In all cases of promotion, adhoc service rendered in -the feeder post upto 31.12.1983 if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in theses rules for promotion subject to the conditions:-

.....4.....

4:

(a) that all in cases where ~~is~~ a Junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service including adhoc service rendered upto 31.12.1983 in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective post/category/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for Promotion on account of therequirements of the proceeding proviso, the person(s) Junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

(b) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered in the post upto 31.12.1983, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Provided that the inter-se- seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service shall remain unchanged.

(c) Adhoc service rendered after 31.12.1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes.

Note:2 Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the H.P. Public Service Commission, as and when the number of posts under Rule-2 are increased.

12. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition. As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. As required under the law.

14. Essential Recruitment for direct recruitment. A candidate for appointment to any service of post must be:-
(a) A citizen of India, or
(b) A subject of Nepal, or
(c) A subject to Bhutan, or
(d) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(a) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika) and Zanzibar, Zambia, Malawi, Zaire, and Ethiopia with the intension of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c) and (d) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but no offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Govt. of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment. Selection for appointment to the post

in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *vis-voce* test if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

16. Reservation:

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes other categories of persons issued by the Govt. of India from time to time.

17. Power to Relax:

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be ordered for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any case or category of persons or post.

.....

हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ।

संख्या: स्लडटी0वी0(टोई)सी(2)4/ 85-11,

दिनांक: - 15¹⁰/₈₇

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति धी का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में तकनीकी सहायक पद की वाकत संलग्न अनुवन्ध 'अ' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्र-शिक्षण विभाग में तकनीकी सहायक वर्ग -111 अराजपत्रित पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम 1987 है ।
- (11) ये नियम इस अधिसूचना के जारी किये जाने की तारीख से प्रवन्त होंगे ।
- (2) पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति : हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में तकनीकी सहायक के पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं और भर्ती की पद्धति ऐसी होंगी जैसी उपावन्ध 'क' में विनिर्दिष्ट है ।
- (3) निरसन और व्यावृत्ति : 3 इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1-150/ 69 स्लड0वार्ड0 (स्था) दिनांक 23 जनवरी, 1970 द्वारा अधिसूचित तकनीकी सहायक के पदों के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम स्लड द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

: 2:

परन्तु ऐसे निरसन से, कथित नियमों से पूर्व प्रवर्तन या उनके तदधीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश द्वारा,

अत्तर सिंह
वित्तायुक्त एवं सचिव तकनीकी शिक्षा
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: -सस0टी0की0(टीई)सी(2)4/85-11, तारीख: -

शिमला-2

10
15
87

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित है -

1. समस्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवरसचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2।
2. समस्त विभाग ~~सक~~ हिमाचल प्रदेश।
3. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला को निवेदन है कि वे राजपत्र असाधारण में प्रकाशित करें और इस की 75 प्रतियाँ इस विभाग को भेजें ताकि नियमों की प्रतियाँ विधान सभा की भेजी जा सकें।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर-जिला मण्डी(19 प्रतियाँ)।
5. उप विधि, परामर्शी हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
6. सहायक विधायी प्रारूपकार (हिन्दी) हि0प्र0 सचिवालय।

हरि चन्द
(हरि चन्द)
अवर सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश में तकनीकी सहायक वर्ग-3 अराजपत्रित के पद के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियम:

- 1. पद का नाम: तकनीकी सहायक ।
- 2. पदों की संख्या: दो (2)
- 3. वर्गीकरण: द्वितीय वर्ग(अराजपत्रित)
- 4. वेतन्मान: 570-1080
- 5. चयन पद अथवा अचयन पद: अचयन ।
- 6. सीधी भर्ती किस जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु: 18 से 32 वर्ष ।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यार्थियों पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यार्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकतम हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगी जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों की अनुज्ञेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्तवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे

टिप्पणी-1 सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जायेगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति पद, विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं ।

टिप्पणी-2 अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिलीकरण किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किस जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और उम्र अहंताएँ ।

अनिवार्य

- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से विज्ञान (भौतिक व रसायन) और गणित सहित मैट्रिक या इसके समतुल्य
- (2) न्यूनतम उम्र के लिए समतुल्य लिए मैट्रिक अहंता सहित राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त जारी किया गया इंजीनियरी व्यवसाय में 2 वर्ष का राष्ट्रीय व्यवसाय प्राप्त प्रमाण-पत्र या इसके समतुल्य अधिमानतः ए0टी0सी0 के पश्चात शिक्षक प्रशिक्षण संयोजन के अधीन राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र
- (3) दसतकारी प्रशिक्षण संस्थान से कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण ।

8. सीधी भर्ती किस जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएँ प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।

वांछनीय अहंताएँ

- (2) हिमाचल प्रदेश की पढ़ियों, सीतियों और वोलियों का जून और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्त के लिए उपयुक्त

आयु: नहीं

शैक्षिक अहंताएँ: हैं ।

9. परिवर्द्धना की अवधि, यदि कोई हो तो:

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक सीधी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सूक्ष्म प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली शक्तियों की प्रतिशतता:

प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ, जिसमें प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।

तकनीशियन वेतनमान 480-880/-, अनुरक्षण मटेनिक 400-600/-, मॉटर ड्राइविंग अनुदेशक 400-600, सहायक तकनीशियन 400-660/-

प्रशिक्षण सिस्ट्री 400-600, में से जिनका ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष का सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा उच्चतर वेतन मान वाले पदाधारियों को सेवा अवधि की वास्तविकता माना जाएगा । एक ही प्रकार के वेतनमान पदाधारियों के लिये परस्पर अन्तर जोड़ता तयार की जाएगी ।

टिप्पण: - प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद 31.12.1983 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन निशानों में यथाविहित सेवा काल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हिसाब में ली जाएगी: - (क) उन सभी मामलों में नहीं व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवा काल (31.12.1983 तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपररूढ़न निर्देष्ट उपवन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है । वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जायेंगे । और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे ।

कनिष्ठ

परन्तु प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले सभी पदाधिकारियों को का. से का. तीन वर्ष अथवा अधिक सेवा या पद के भूतपूर्व प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी का. हो, होनी चाहिए।

परन्तु यह और कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्णगामी परन्तु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र हो जाता है वहाँ उसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा।

(ख)

इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व 31.12.1983 तक वह गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाका. के लिए हिसाब में ली जाएगी।

परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को हिसाब में सेवा पारस्परिक जटिलता, अपरिचित रहेंगी।

(ग)

31.12.1983 के पश्चात् जो पूर्व तदर्थ सेवा प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

टिप्पणी-2

जब सभी नियम 2 के अनुसार पदों में उतारनी होती है, तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध, सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग को पुनरोचित किए जाएंगे।

12.

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधानन हो तो उसकी संरचना

जैसा कि सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग पर गठित की जाए

13.

भूतपूर्व करने में जिन परिस्थितियों में विभागीय प्रवेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

जैसा कि विधि द्वारा उचित है

14.

सीधी भूतपूर्व किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा

किसी सेवा पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता निम्नलिखित जैसा कि चाहिए:-

(क)

भारत के नागरिक

(ख)

नेपाल के प्रजा

(ग)

भूटान के प्रजा

(घ)

विद्यार्थी श्रेणी जो जनवरी 1962 से पूर्व भारत आये हों और जो आयोग के लिए सेवा में

(ङ)

भारत के नागरिक व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, इण्डोनेशिया, फिलीपींस, ब्रिटेन, आयरलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आदि देशों के नागरिक हों

...4...

जांजिया, मालवा, जेयूर और इथोपिया से, भारत में शायी निवास के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु प्रवर्ग(अ)(ग)(घ)और (ङ) के अन्वार्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो ।

ऐसे अन्वार्थी जो, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा । समाप्तकार में प्रवेश किये जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किया जाने के पश्चात ही दिया जायगा ।

15

सूची भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

सूची भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, वैशिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या उचित माने, लिखित परीक्षा या कवचकारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अध्यापित किया जायगा ।

16

आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश द्वारा अभ्यर्थकों पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़े वर्गों को अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण को लागू जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत होगी ।

17

शिक्षित करने की शक्ति :

जहाँ राज्य सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या उचित तो यह कारणों को अनिलिखित करते हुए लोक सेवा आयोग के परामर्श में, आदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश स्तर पर, किसी भी किन्हीं उपवर्गों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के पदों के प्रवर्ग या पदों की वापस, शिक्षित करा सकेगी ।